न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
204 / 2022	22.08.2022	18.11.2022

/ /उनवान/ /

1 शारदा पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी विजय नगर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– वादिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर, राज0।

–: प्रतिवादी

दावा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– श्री सीताराम चौधरी– वकील वादिया

निर्णय

दिनांक 18.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित आये। वादिया के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 295/0.29, 298/0.13, 346/0.25, 357/0.26, 356/0.18, 333/0.15, 368/0.09 है0 का 1/10 भाग व ख0नं0 331/1.34 है0 का 1/20 भाग जो वाके ग्राम विजय नगर तह0 मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलाएगी। आराजी मिन वादिया के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होकर मिन वादिया अपने हिस्से की आराजी पर कब्जेकाश्त है तथा आराजी बाबत अन्य से खातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए सखातेदारान को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में मिनवादिया का के नाम का अंकन शारदा पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी विजय नगर तह0 मुण्डावर के नाम का भी किसी भी सही अंकन सम्वत् 2065–68 की जमाबंदी में दर्ज रहा है लेकिन सम्वत् 2069–71 की जमाबंदी पैमूद करते समय मिन वादिया का पता विजय नगर के स्थान पर नीमूचाना तह0 बानसूर दर्ज कर दिया जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून गलत है एवं गलत पता काबिले दुरूस्ती है का अंकन करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे की विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मिनवादिया का पता गांव निमूचाना तह0 बानसूर को हजफ कर उसके स्थान पर गांव विजय नगर तह0 मुण्डावर को दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर पत्रावली पर [illegible] आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुये अपने हस्ताक्षर किये।

वादिया ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबंदी [illegible] 2078–2081 मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–68 की प्रति, आधार कार्ड की प्रति पेश की हैं तथा मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र शारदा पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी विजय नगर पीडब्ल्यू–1 एवं शपथपत्र अमरसिंह पुत्र हनुमान जाति राजपूत निवासी विजय नगर तह0 मुण्डावर पीडब्ल्यू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

वकील वादी की वादपत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का पता गांव का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून गलत कर दिये जाने का निवेदन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत अंकित वादिया का पता गांव नीमूचाना तह0 बानसूर को हजफ कर उसके स्थान पर गांव विजय नगर तह0 मुण्डावर दर्ज कर वादिया के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत वादिया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के हाल आराजी ख0नं0 295/0.29, 298/0.13, 346/0.25, 357/0.26, 356/0.18, 333/0.15, 368/0.09 है0 का 1/10 भाग व ख0नं0 331/1.34 है0 का 1/20 भाग जो वाके ग्राम विजय नगर तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादिया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादिया का पता गांव नीमूचाना तह0 बानसूर को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं उसके स्थान पर गांव विजय नगर तह0 मुण्डावर का हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/11-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:08 IST
Reason: SelfAttested